प्रकरण संख्या 99/2015 हीरालाल बनाम लोगरीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरतलाई में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट 'ए' की आराजी नंबर 539, 549, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563/1 कुल किता 9 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है तथा वर्णित परिशिष्ट 'बी' की आराजी नंबर 556, 557 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जो स्वर्गीय रूपा जी के समय से चली आ रही हैं, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादीगण स्वर्गीय रूपा जी की पुत्रियां होने से उनका भी परिशिष्ट 'ए' की आराजीयात में 1/6 व परिशिष्ट 'बी' की आराजीयात में 1/12 हिस्सा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण प्रत्येक को परिशिष्ट 'ए' की आराजीयात में 1/6 हिस्से का व परिशिष्ट 'बी' की आराजीयात में 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी 2 से 4 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2014 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.12.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 16.11.2015 को पटवारी हल्का से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। Signature Not Verified Digitally signed by M. L Chouhan Date: 2021.08.10 12:12:32 IST Reason: SelfAttested अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत कर उसके साथ आपसी लिखा	

प्रकरण संख्या 99/2015 हीरालाल बनाम लोगरीबाई व अन्य

पढ़ी तथा आपसी लिखा पढ़ी की टाईप शुदा प्रति प्रस्तुत की तथा न्यायिक निर्णय के लिए उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम दस्तावेज आपसी लिखतम है तथा दूसरा दस्तावेज टाईप शुदा लिखतम है। दोनों ही दस्तावेज सत्य प्रतियां नहीं होने से इन्हें इस स्तर पर रेकार्ड पर ग्राह्य नहीं किया जा सकता। तद्नुसार आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी स्वतंत्र गवाहों के केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के शपथ पत्रों के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 08.07.2013 को अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादीगण की बहस सुनकर एवं साक्ष्य लेकर निर्णय कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:32 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर